

जाने के आदेश दिए जाते हैं। लाल रखा हो से अंकन किया जावे।
प्रार्थना पत्र सामिल मिसल रहे। पत्रावली वास्ते तलवी पूर्व निर्धारित
दिनांक 10.01.2024 को पेश हो।

[Handwritten signature]

09/01/24

Rayeeskar

Vedika

आज ग्रह पत्रावली प्राथमिण के द्वारा मूल
वाद में प्रार्थना पत्र पेश करने पर
पैसी में ली गई। प्राथमिण के द्वारा
मूलवाद नोट प्रेश कर लिया है। इसलिए
अब इस प्रकार में कोई कार्यवाही
अपेक्षित नहीं है। प्राथमिण का प्रार्थना
पत्र अन्तगत धारा 212 RTA इसी
स्तर पर खारिज किया जाकर प्रकरण
में जारी अंर्याची निषेधाज्ञा दिनांक
04/12/2023 भी निरस्त की जाती है।
पत्रावली विधीत होकर नम्बर से कम
होकर दाखिल नफुतर है।

[Handwritten signature]

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

